

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक0-343 / 14
संस्थापित दिनांक 17 / 06 / 14
फाईलिंग नम्बर 233504002312014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द,
 थाना आमला जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

प्रदीप पिता सुभाष, उम्र 23 वर्ष,
 जाति स्वीपर, व्यवसाय मजदूरी, नि0 वार्ड नं.9,
 आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-08 / 03 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अभियोग है कि घटना दिनांक 29 / 05 / 2014 को 11.30 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना क्रं0-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेण्ड आमला पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है इस सूचना पर हमराह सैनिक 151 विजय, साक्षी यादोराव खातरकर, शेख अलीम को लेकर घटना स्थल पर पहुँचाघेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर पूछताछ किया तो उसका नाम प्रदीप निवासी बस स्टेंड आमला का बताया तथा अवैध रूप से छुरी रखने बाबत कागजात पूछने पर नहीं होना बताया जो जप्ती पत्रक के मुताबिक एक छुरी लोहे की साक्षियों के समक्ष जप्त किया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 376 / 14 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 29.05.14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शनी-1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 29.05.14 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शनी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या घटना दिनांक 29/05/2014 को 11.30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी को अपने आधिपत्य में रखा?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी बाबूलाल पंवार (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 29/05/14 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की बस स्टैंड आमला में एक व्यक्ति उसके हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले व्यक्तियों को डरा धमका रहा है इस सूचना पर हमराह सैनिक 151 विजय को लेकर साक्षी यादोराव, शेख अलीम को लेकर घटना स्थल आमला बस स्टैंड पहुँचा। घेराबंदी कर हाथ में छुरी लिए वाले व्यक्ति को पकड़ा नाम पूछने पर प्रदीप पिता सुभाष जाति स्वीपर नि0 बस स्टैंड आमला का रहने वाला बताया। आरोपी से छुरी रखने के कागजात पूछने पर उसने नहीं होना बताया। मुताबिक जप्ती पत्रक के आरोपी के कब्जे से एक छुरी लोहे की 11:30 बजे जप्त किया, बाद आरोपी प्रदीप को 11:40 बजे गिरफ्तार कर हमराह लेकर थाना लेकर पहुँचा, वापसी के बाद थाना आकर अपराध क्रं. 376/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट का प्रथम सूचना पत्र 12:00 बजे लेख किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई। प्रथम सूचना प्र0पी0 4 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षियों के कथन लिए गए।

7— किन्तु इस गवाह ने संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि प्रकरण में जप्त लोहे की धारदार छुरी की लंबाई चौड़ाई क्या थी। क्योंकि सभी छुरियाँ प्रतिबंधित आकार नहीं होती है। साथ ही इस गवाह ने रवानगी एवं वापसी के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त एक लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। साथ ही घटना दिनांक 29/05/15 समय 11:30 बजे घटना होने के समय है, थाने पर सूचना उक्त दिनांक को ही समय 12:00 बजे है। सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 के अनुसार 11:30 बजे बस स्टैंड आमला से अभियुक्त प्रदीप से एक लोहे की छुरी की जप्ती होना बताया गया है, जबकि थाने पर सूचना 12:00 बजे का उल्लेख है तो यह संभव ही नहीं है कि 11:30 बजे अभियुक्त के कब्जे से लोहे की एक छुरी की जप्ती बनाई जा सके। क्योंकि 12:00 बजे सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पर 15-20 मिनट लगना

आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होती है बल्कि यह माना जायेगा कि विवेचना अधिकारी के द्वारा थाने पर बैठकर ही अभियुक्त को झूठा फंसाने की मंशा से उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया गया हो।

8— सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी०१ के अभियोजन साक्षी साक्षी यादोराव (अ०सा०१) एवं अभियोजन साक्षी अलीम (अ०सा०३) ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से उनके समक्ष सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी०१ की एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०२ की कार्यवाही उनके समक्ष होने से इंकार किया है। इस प्रकार स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य के आधार पर भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी की जप्ती की गई। इस प्रकार उक्त गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

9— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्र० १ का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

10— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त प्रदीप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०